भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2662

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

2662. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देशभर में कार्यान्वित की जा रही 'प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना' (पीएम-केएमडीवाई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र विशेषकर लातूर, अहिल्यानगर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में, मध्य प्रदेश विशेषकर खंडवा जिले में तथा दादरा और नगर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उपरोक्त राज्यों के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो उक्त योजना का लाभ उठाने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त योजना को वंचित किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष के प्रविष्टि आयु वर्ग के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। अपवर्जन मानदंडों के अधीन, इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम ₹3000/- की मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि के स्वामी लघु एवं सीमांत किसानों

को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में किसानों की प्रविष्टि आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि ₹55 से ₹200 प्रति माह तक होती है। भारत सरकार भी ऐसे किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का निधि प्रबंधक है।

(ख) से (घ): पीएम-केएमवाई योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य से 80,981 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें लातूर जिले के 1870, अहिल्यानगर जिले के 2595 और छत्रपति संभाजीनगर जिले के 2609 किसान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य से 1,19,459 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें खंडवा जिले के 846 किसान शामिल हैं, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से 289 किसान पंजीकृत हैं।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली व दमन एवं दीव सहित सभी अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पीएम-केएमवाई योजना के कवरेज का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) नामित किए गए हैं और योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएससी द्वारा पीएम-केएमवाई योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया गया है। सीएससी किसानों को संगठित करते हैं, सूचना प्रसारित करते हैं और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं तथा पात्र किसानों के पंजीकरण में सहायता करते हैं। इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर सरकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने और पीएमकेएमवाई के तहत पात्र किसानों के नामांकन को अधिकतम करने के लिए जनसंपर्क गतिविधियां चलाने की सलाह दी जाती है।
